

21/11/2024

पत्रावली पैसा हुई। वकील प्रार्थी अनुपरिष्ठात हैं। प्रार्थीगण स्वयं भी अनुपरिष्ठात हैं। इनकी ओर से कोई अन्य वकील भी उपरिष्ठात नहीं हैं। बार बार आवान्जिलगवहि गई। परन्तु न्यायालय समय तक कोई भी उपरिष्ठात नहीं हुई। अतः राजस्व प्रार्थना का अदम दाजरी अदम पैखी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फौसला शुमार हो। नम्बर से कम होकर वाञ्छिल दफतर हो।

SDO, BHANAR